हाईकोर्ट में मुकदमों की लचर पैरवी पर राज्यपाल को दिलाया ध्यान

बेरोजगारों से जुड़े प्रकरण में चार साल में भी राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश नहीं करने पर अदालत ने नाराजगी जताई है

- **अदालत ने दस हजार रुपए हर्जाने की शर्त पर राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए तीन अप्रैल तक का समय दिया है**

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने बेरोजगारों से जुड़े प्रकरण में चार साल में भी राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश नहीं करने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने आदेश की कॉपी राज्यपाल, मुख्य सचिव और प्रमुख विधि सचिव को भेजी है। अदालत ने कहा कि इस मामले को राज्यपाल के ध्यान में लाना चाहिए, ताकि मुकदमेबाजी के दौरान राज्य सरकार के हितों की रक्षा की जा सके। इसके साथ ही अदालत ने दस हजार रुपए हर्जाने की शर्त पर राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए तीन अप्रैल तक का समय दिया है। जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश रेखा कुमारी व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मामले में 22 जनवरी, 2020 को राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता के कार्यालय में नोटिस तामील करा दी गई थी। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने समय-समय पर जवाब पेश करने के लिए समय मांगा। वहीं चार साल बीतने के बाद अब भी राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय मांगा जा रहा है। अदालत ने कहा कि मामला तृतीय श्रेणी विशेष शिक्षक पद पर नियुक्ति से जुडा हुआ है। याचिकाकर्ता बेरोजगार है और न्याय के लिए हाईकोर्ट आया है। राज्य सरकार, जिसे लोक कल्याणकारी राज्य कहा जाता है, पिछले चार साल से जवाब पेश करने के लिए समय मांग रहा है। सरकार के इस रवैये को किसी भी सूरत में लोक कल्याणकारी नहीं कहा जा सकता है। सरकार की ऐसी सुस्ती के चलते न्याय व्यवस्था विफल हो रही है और बेरोजगारों को अदालतों में आना पड रहा है।

अदालत ने कहा कि देखने में आया है कि बीते दो माह से सरकारी वकील और अधिकारी पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। अदालत पूर्व में मुख्य सचिव और प्रमुख विधि सचिव को भी तलब कर चुकी है, लेकिन अब तक कोई संतोषजनक व्यवस्था नहीं हुई है। कई बार सरकारी वकील की उपस्थिति नहीं होने के कारण सुनवाई टालनी पडी है। इसके अलावा कई मौकों पर तो खुद राज्य सरकार की ओर से पेश याचिका में सरकारी ही पेश नहीं हुए।

द पैलेस स्कूल में ओरिएंटेशन सेशन

जयपुर, (का.सं.)। जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल के नए संस्करण के अंतर्गत द पैलेस स्कूल में फाइनेंशियल लिटरेसी एक्सप्रेस्ड थ्रू फोक आर्ट्स विषय पर ओरिएंटेशन सेशन का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जयपुर के 35 स्कूलों के प्रिंसिपलों और शिक्षकों ने उत्साह से हिस्सा लिया। जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल, भारत की समृद्ध विरासत को समकालीन शैक्षिक विषयों के साथ एकीकृत करने की अपनी प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध है। इस आयोजन के माध्यम से लोक कलाओं की जीवंतता के साथ वित्तीय ज्ञान के सार को मिलाकर एक परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत हुई।

इस आयोजन पर प्रकाश डालते हुए जयपुर के एचएच महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह ने कहा, ''वित्तीय साक्षरता और वित्त से संबंधित विषयों को समझाने में स्थानीय कला और पारंपरिक लोक रूपों का एकीकरण बहुत ही रोचक और अद्भुत है। इस विशेष संयोजन में युवाओं को प्रबुद्ध करने की शक्ति है, जिससे वे देश के आर्थिक विकास और कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगे।''

मांगणियार शैली में भजन प्रस्तुत कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया

डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान के साथ रामकृष्ण मिशन जयपुर एवं वेस्ट ज़ोन कल्चरल सेंटर की ओर से स्तुति, ओड टू म्यूजिकल ट्रेडिशन कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संदीप वर्मा, डेल्फ़िक काउंसिल ऑफ़ राजस्थान की अध्यक्ष एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन श्रेया गुहा, राजस्थान डेल्फिक कौंसिल के महासचिव डॉ जितेन्द्र कुमार सोनी ने दीप प्रज्वलन कर की।

जयपुर, (का.सं.)। डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान के साथ रामकृष्ण मिशन जयपुर एवं वेस्ट ज़ोन कल्चरल सेंटर के संयुक्त तत्वाधान में स्तुति, ओड टू म्यूजिकल ट्रेडिशन कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में कलाकारों ने लंगा और मांगणियार गायन शैली में राम-सिया एवं राधा कृष्ण के सुरीले भजन प्रस्तुत कर श्रोताओं को मंत्र मुग्ध किया। कार्यक्रम की शुरुआत सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संदीप वर्मा, डेल्फ़िक काउंसिल ऑफ़ राजस्थान की अध्यक्ष एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन श्रेया गुहा, राजस्थान डेल्फिक कौंसिल के महासचिव डॉ जितेन्द्र कुमार सोनी ने दीप प्रज्वलन कर की।

शुक्रवार को रामकृष्ण मिशन मंदिर के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में भुंगर खान एवं समूह द्वारा लंगा और मांगणियार गायन शैली में लोक भजनों और सुरीले गीतों की प्रस्तुति ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। वही पंडित प्रवीण कुमार आर्या द्वारा प्रस्तुत पखावज वादन सुनकर भी दर्शक मंत्रमुग्ध हो उठे।

कार्यक्रम में प्रख्यात खड़तालवादक भुंगर खान ने ''अयोध्या राजा दशरथ की, रामचन्द्र अवतार लिये'' भजन पर अपने खड़ताल की तालों पर राम-सिया के विवाह दृश्यों को उतार कर सब का मन मोहा। कलाकारों ने राधा कृष्ण के भजनों पर जब राग अलापा तो सामने बैठा हर व्यक्ति भावविभोर हो उठा। इसी तरह पंडित प्रवीण कुमार आर्या के पखावज वादन से भी परिसर करतला ध्वनि से गूंज उठा।

कार्यक्रम में भुंगर खान मागणियार के खड़ताल का साथ ढोलक पर मंजूर खाँ, वीणा पर दादा खाँ एवं कामायचे पर भुगड़ें खाँ और गायन में भुट्टे खाँ और दादा खाँ ने साथ दिया।

कार्यक्रम में राजस्थान डेल्फिक काउंसिल के महासचिव डॉ. जितेन्द्र सोनी ने राजस्थान डेल्फिक काउंसिल के द्वारा की जा रही गतिविधियों पर प्रकाश डाला। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संदीप वर्मा ने कलाकारों की प्रस्तुतियों को अविस्मरणीय बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से प्रदेश की समृद्ध संगीत कला के सुर एकबार फिर लोगों के दिलों तक पहुंच सकेगी।

कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य सचिव संदीप वर्मा, राजस्थान डेल्फिक काउंसिल के अध्यक्ष श्रेया गुहा, महासचिव डॉ. जितेन्द्र सोनी द्वार कलाकारों को शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया गया।

19 अप्रैल से 1 जून तक एग्जिट पोल पर पूर्ण प्रतिबंध

जयपुर। भारत निर्वाचन आयोग ने 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से लेकर 1 जून की शाम 6.30 बजे तक के लिए एक्जिट पोल पर रोक लगा दी है। इस दौरान देशभर में सभी लोकसभा क्षेत्रों में एक्जिट पोल का प्रकाशन और प्रसारण प्रतिबंधित रहेगा।

भारत निर्वाचन आयोग से मिले निर्देशों के अनुसार राजस्थान सहित अन्य चुनाव वाले सभी राज्यों में मतदान से 48 घंटे पूर्व ओपिनियन पोल या अन्य पोल सर्वे के प्रसारण पर प्रतिबंध रहेगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि अधिसूचना के अनुसार एग्जिट पोल करना और एग्जिट पोल के परिणामों को समाचार पत्रों में प्रकाशित या इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित करना अथवा अन्य किसी तरीके से प्रचार-प्रसार करने पर भी पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रोनिक मीडिया में किसी ओपिनियन पोल या किसी अन्य प्रकार के मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी निर्वाचन मामले का प्रदर्शन 48 घंटों की अवधि जो इन चुनावों के संबंध में मतदान के समापन के लिए नियत घंटों के साथ समाप्त हुई हो, तक के लिए रोक रहेगी। भारत निर्वाचन आयोग ने जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 126 ए की उपधारा (1) के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल को इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया के जरिए या अन्य तरीके से प्रसारित करने पर प्रतिबंध लगाया है ।

मम्प्स रोग के बढ़ते मामले को लेकर गाइड लाइन जारी

जयपुर। चिकित्सा विभाग ने बच्चों व वयस्कों में होने वाले मम्प्स संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए गाइडलाइन जारी की है। जिसमे संक्रमण से ग्रसित या लक्षण नजर आने पर बच्चे को सात दिन स्कूल नहीं बुलाने, संदिग्ध के जांच नमूने सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर भेजने और इस तरह के मामलों की नियमित रूप से स्वास्थ्य विभाग के पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।

निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ.रविप्रकाश माथुर ने बताया कि कुछ महीनों से प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में इस रोग के कई मामले सामने आए हैं। यह एक संक्रामक रोग है जो संक्रमित व्यक्ति के खांसने और छींकने के समय लार के माध्यम से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक आसानी से फैलता है। इसके लक्षण रोगी के संपर्क में आने के बाद 2 से 3 सप्ताह में सामने आते हैं। जो 10 से 14 दिनों तक प्रभावित करते हैं। यह रोग होने पर अंडकोष, स्तन, मस्तिष्क, अंडाशय, अग्नाश्य और रीढ़ की हड्डी में सूजन और असाधारण स्थितियों में बहरेपन की स्थिति भी हो सकती है। इसके मुख्य लक्षणों में गले की लार ग्रंथि में तीन दिन तक दर्द और सूजन के साथ ही मांसपेशियों में दर्द, सूजन और भूख में

रिश्वत मामले में ई.डी. के प्रवर्तन अधिकारी सहित दो को जमानत नहीं

जयपुर। हाईकोर्ट ने चिटफंड मामले में गिरफ्तारी से बचाने के बदले 15 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे ईडी के प्रवर्तन अधिकारी नवल किशोर मीणा और एक अन्य बाबूलाल मीणा की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी है। जस्टिस अनुप कुमार ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश दोनों आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने दोनों आरोपियों को छूट दी है कि यदि विभाग चार माह में उनके खिलाफ अभियोजन स्वीकृति नहीं देता है तो वे पुनः जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। अदालत ने कहा कि आरोपियों ने गंभीर प्रकृति का अपराध किया है। ऐसे में उनके प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

जमानत याचिकाओं में कहा गया कि एसीबी ने याचिकाकर्ताओं को गत 2 नवंबर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वे न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं। प्रकरण में अनुसंधान पूरा कर एसीबी ने आरोप पत्र भी पेश कर दिया है, लेकिन विभाग ने अब तक मुकदमा चलाने के लिए अभियोजन स्वीकृति नहीं दी है। ऐसे में बिना अभियोजन स्वीकृति उनके खिलाफ ट्रायल आरंभ नहीं हो सकती। वहीं जिन धाराओं में उनके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं, उनमें अधिकतम सात साल तक ही सजा है। ऐसे में उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि आरोपी ईडी अधिकारी ने नवल किशोर ने 17 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी और पन्द्रह लाख रुपए सह आरोपी बाबूलाल मीणा से बरामद हुए थे। ईडी अधिकारी से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह इस तरह का अपराध करे। ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने आरोपी को पन्द्रह लाख रुपए लेते हुए गिरफ्तार किया था।

बच्चों की तस्करी करने वालों को सजा

जयपुर, (का.सं.)। जिले के सत्र न्यायालय ने बालश्रम के लिए बच्चों की तस्करी करने वाले अभियुक्त अहमद शाह को 14 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने सह अभियुक्त अलाउद्दीन को दस साल की सजा से दंडित किया है। अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर तीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जबकि प्रकरण में एक अन्य आरोपी नाजिम फरार चल रहा है।

अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक राघवेन्द्र पारीक ने अदालत को बताया कि मामले में सदर थाने के एसआई घनश्याम ने 3 मई 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि बालश्रम के लिए बच्चों की तस्करी की सूचना मिलने पर उसने बिहार और बंगाल से आने वाली ट्रेनों में बच्चों को लाने वाले कुछ लोगों को मानव तस्करी यूनिट ने रोक रखा है। ऐसे में आगामी कार्रवाई के लिए पुलिस मौके पर पहुंची। रेलवे स्टेशन के गेट पर यूनिट के साथ तीन लोग थे। इनमें से अहमद और अलाउद्दीन के कब्जे से दस बच्चों को बरामद किया गया। अभियुक्त ने बताया कि बच्चों को चूडी बनाने के काम के लिया लाया गया है।

जयपुर शहर की मुख्य समस्याओं को निश्चित ही दूर करेंगे : मंजू शर्मा

- **सांगानेर कोर्ट में वकीलों ने किया मंजू शर्मा का सम्मान**
- **दो कार्यकर्ता प्रचार करने जयपुर से चेन्नई रवाना**

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 400 पार का लक्ष्य लेकर चल रही है। उसी के अंतर्गत जयपुर शहर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी मंजू शर्मा भी इस लक्ष्य को पार करने में कसर नहीं छोड़ रही। मंजू शर्मा लगातार जनसंपर्क कर जनता को विश्वास दिला रही हैं कि जनता को किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, वह एक धरातल से जुड़ी हुई महिला है और हमेशा जनता के लिए सामान्य और सरलता से उपलब्ध हो सकेगी।

मंजू शर्मा ने 400 पार के संकल्प को लेकर दो भाजपा कार्यकर्ता जो जयपुर से चेन्नई को प्रचार हेतु साइकिल से रवाना हुए हैं। ऐसे कार्यकर्ता अतुल चतुर्वेदी और मनोज शर्मा को मंजू शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और शुभकामनाएं दी।

मंजू शर्मा जनसंपर्क के लिए सुबह से ही आम जनता के बीच निकल पड़ी। सांगानेर कोर्ट के वकीलों ने शर्मा को संकल्प के साथ विश्वास दिलाया कि शर्मा को 8 लाख मतों से विजय दिलवाने में पूरी मेहनत और सहयोग करेंगे। लोकसभा प्रत्याशी मंजू शर्मा पूर्व सांसद स्व गिरधारी लाल भार्गव के निवास पर जाकर श्रद्धांजलि दी और आशीर्वाद लिया। इसी प्रकार पूर्व मुख्यमंत्री स्व भैरो सिंह शेखावत के घर जा उन्हें भी श्रद्धांजलि देकर आशीर्वाद लिया।

मंजू शर्मा का साहू समाज द्वारा फागोत्सव में माल्यार्पण और साफा पहनकर सम्मान किया साथ ही सिविल लाइंस विधानसभा के भाजपा कार्यकर्ता और आमजन बहन मंजू शर्मा का सम्मान कर भारी मतों से विजय दिलवाने का संकल्प लिया।

राज्यपाल कैंसर विजेताओं से होंगे रूबरू

जयपुर। भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय एवं अनुसंधान केन्द्र और कैंसर केयर की ओर से शुक्रवार को 21वां कैंसर विजेता दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित हो रहे इस समारोह के मुख्य अतिथि राज्यपाल कलराज मिश्र होंगे। समारोह में राजस्थान सहित यूपी, पंजाब समेत कई राज्यों के कैंसर विजेता (सर्वाइवर) भाग लेंगे। समारोह में कैंसर विजेताओं का सम्मान कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा।

जयपुर शहर में 22 लाख व ग्रामीण में 21 लाख मतदाता डालेंगे वोट

- **लोकसभा चुनाव के तहत मतदाता सूची को दिया गया अंतिम रूप**

जयपुर, (का.सं.)। लोकसभा चुनाव-2024 के तहत जयपुर ग्रामीण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 19 अप्रैल को 21 लाख 84 हजार 978 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिनमें 11 लाख 45 हजार 437 पुरुष एवं 10 लाख 39 हजार 533 महिला मतदाताओं के साथ-साथ 8 थर्ड जेंडर मतदाता भी शामिल हैं।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी नीलिमा तक्षक ने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया जा चुका है। जिसके बाद जयपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आगामी 19 अप्रैल को 22 लाख 87 हजार 350 मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिनमें 11 लाख 90 हजार 851 पुरुष एवं 10 लाख 96 हजार 417 महिला मतदाताओं के साथ-साथ 82 थर्ड जेंडर मतदाता भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि जयपुर ग्रामीण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए 2 हजार 8 मतदान केन्द्र एवं 120 सहायक मतदान केन्द्रों की स्थापना की गई है। वहीं, जयपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 1 हजार 842 मतदान केन्द्रों एवं 243 सहायक मतदान केन्द्रों की स्थापना की गई है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि दौसा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए बस्सी विधानसभा क्षेत्र में 252 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं जिसमें 2 लाख 35 हजार 653 मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे। दौसा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चाकसू में 234 मतदान केन्द्रों के साथ-साथ 7 सहायक मतदान केन्द्र बनाए गए हैं, जिनमें 2 लाख 32 हजार 685 मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सीकर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 227 मतदान केन्द्र एवं 6 सहायक मतदान केन्द्रों की स्थापना की गई है।

मतदान दिवस पर रहेगा सार्वजनिक अवकाश

जयपुर, (का.सं.)। आगामी लोकसभा चुनाव में शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी नीलिमा तक्षक ने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 22 मार्च को जारी आदेश की अनुपालना में मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

उन्होंने बताया कि 19 अप्रैल को जयपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में समाहित हवामहल, विद्याधर नगर, सिविल लाइन, किशनपोल, आदर्श नगर, मालवीय नगर, सांगानेर, बगरू विधानसभा क्षेत्रों में, जयपुर ग्रामीण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में समाहित कोटपूतली, विराटनगर, शाहपुरा, फुलेरा, झोटवाड़ा, आमेर जमवारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र, दौसा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में समाहित चाकसू एवं बस्सी विधानसभा क्षेत्र के साथ-साथ सीकर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में समाहित चौमूं विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्लाट नम्बर 61-बी, बालाजी एनक्लेव, ग्राम बल्लूपुरा, जामडोली, जयपुर कुल क्षेत्रफल 166.66 वर्गगज को श्री महावीर स्वामी गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर के द्वारा श्री नरेश कुमार पुत्र श्री गुलजारी लाल यादव को आवंटित किया गया था। जिसे श्री इन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री धर्मपाल पंवार ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.01.2022 के द्वारा श्री नरेश कुमार से खरीद कर लिया। उक्त प्लाट नम्बर 61-बी, के सम्बन्ध में श्री इन्द्रपाल सिंह ने एक वसीयतनामा दिनांक 24.01.2022 को अपने पिता श्री धर्मपाल सिंह पुत्र श्री नानग राम के हक में निष्पादित कर दिया। श्री इन्द्रपाल सिंह की मृत्यु दिनांक 31.05.2023 को हो गई। अतः वर्तमान में उक्त वसीयतनामा दिनांक 24.01.2022 के आधार पर श्री धर्मपाल सिंह उक्त प्लाट नम्बर 61-बी, के एक मात्र मालिक, स्वामी, एवं अधिकारी है तथा उनके द्वारा उक्त प्लाट को विक्रय किये जाने का इकरार श्रीमती कमला मीणा धर्मपत्नी श्री बद्री प्रसाद मीणा से किया गया है, श्रीमती कमला मीणा एवं श्री बद्री प्रसाद मीणा ने उक्त प्लाट की खरीद हेतु ऋण लेने के लिए Aadhar Housing Finance Ltd. में आवेदन किया है किसी भी व्यक्ति का उत्तराधिकार, विक्रय, रहन, लीज, लियन, लाईसेन्स, दान या कब्जे के जरिये या अन्य किसी प्रकार से कोई अधिकार या हक उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में हो तो निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उक्त सूचना के प्रकाशन के सात दिवस में अपना अधिकार या हक मय दस्तावेज प्रस्तुत करें अन्यथा Aadhar Housing Finance Ltd. द्वारा उक्त सम्पत्ति को रहन कर लिया जावेगा एवं उसके पश्चात किसी प्रकार का कोई हक या अधिकार मान्य नहीं होगा, और न ही Aadhar Housing Finance Ltd. पर बाध्यकारी होगा।

(भीम सिंह) एडवोकेट
मो.नं. 8107351741

उत्तर पश्चिम रेलवे G20

ई-निविदा आमन्त्रण सूचना

पत्र सं. WB-74-W-O/Works/NIT/X दिनांक: 26/03/2024 मंडल रेल प्रबन्धक, इंजीनियरिंग, उत्तर पश्चिम रेलवे, जोधपुर द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिये एवं उनकी ओर से ई-निविदा के माध्यम से प्रचलित नियमो के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्रो में निविदा निम्न कार्यो के लिए क्रमानुसार आमंत्रित की जाती है। **ई-निविदा सूचना सं. 2024-25 : 56 कार्य का नाम व स्थान :** Construction of S&T Rooms for Level crossing interlocking at LC No 137(SWF-PPR), 143 (KSW-AAS), 135 (SWF-PPR) & Construction of OFC Rooms at 13 stations in C/W shifting of OFC equipments in OFC room in the jurisdiction of DEN/Central over Jodhpur Division. **अनुमानित लागत रूपये :** 1,43,85,882.81 **बयाने की राशि रूपये :** 2,21,900.00 निविदा सूचना संख्या **56 of 2024-25** निविदा प्रस्तुत करने की तिथि **26/04/2024 को 15.00** बजे तक है। वेबसाईट का विवरण जहाँ पर **ई-निविदा** देखी व भरी जा सकती है - **www.ireps.gov.in** 409-CQ/24

हमें /NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करें

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)

व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 2336/24

विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।

प्रार्थी नाम राजेश शर्मा पुत्र स्व. मुरारी लाल शर्मा नि. हाउस नं. 208, वैभव अपार्टमेन्ट, सेठी कॉलोनी, सैटेलाइट अस्पताल, जवाहर नगर, जयपुर राज.

मृतक (1) स्व. रतन देवी (2) स्व. मुरारी लाल शर्मा की सम्पत्ति के विषय में।

पेशी दिनांक- 04.05.2024

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम (1) स्व. रतन देवी पत्नि स्व. मुरारी लाल शर्मा (2) स्व. मुरारी लाल शर्मा पुत्र स्व. रमानंद शर्मा निवासीगण मकान नं. 208, वैभव अपार्टमेंट, सेठी कॉलोनी, सैटेलाइट अस्पताल, जवाहर नगर, जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 04 माह 05 सन् 2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

आज दिनांक 21 माह 03 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।

प्रार्थी ने मृतकगण रतन देवी व मुरारीलाल के नाम प्रा. पत्र में वर्णित लॉकर बाबत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र चाहा है।

मोहर अदालत

आज्ञा न्यायालय से-वरिष्ठ मुंसरिम
जिला एवं सैशन न्यायालय
जयपुर महानगर-प्रथम

खोया पाया

मैं शरद अग्रवाल अपनी संपत्ति एफ-309, 310 और 311 से संबंधित संशोधित लीज डीड जिसकी तारीख 04.12.2020 और ऑफिस आदेश 02.11.2020 दिनांक 04.03.2024 को कहीं गुम हो गई है किसी को भी कोई सूना या प्राप्ति हो तो सूचित करें, उचित इनाम दिया जाएगा।

मेरे मकान 4-छ-2, नाहरी का नाका जयपुर के मूल दस्तावेज दो आवंटन पत्र, कब्जा पत्र, डीक्लेशन, नाहरी का नाका जयपुर में कहीं गिर गये है। मिलने पर सूचित करें-लोकेश कुमार आर्य-9461699138

मैं मुन्नी देवी पत्नि महेश चन्द्र गुप्ता निवासी 381, कटेवा नगर न्यू सांगानेर रोड जयपुर की मेरे प्लॉट संख्या 11 ए ब्रह्मपुरी 2 कालीदास मार्ग ब्रह्मपुरी जयपुर का साइट प्लान छत्रपति शिवाजी GNSS Ltd. का गुम हो गया है। मिलने पर सूचित करें। 9314507915

मेरा प्लाट नं. बी-115, मुरलीपुरा स्कीम सीकर रोड जयपुर के मूल दस्तावेज जे.डी.ए. आवंटन पत्र साईट प्लान व कब्जा पत्र कहीं खो गये है। मिलने पर सूचित करें। किरण देवी-9314879567

मैं विमला शर्मा पत्नि गजानन्द शर्मा मेरे प्रोपर्टी पेपर जिसका पता भूखण्ड संख्या 11 कृष्णा नगर गांव बगरूकला तहसील सांगानेर जयपुर कहीं गिर चुके है जिस किसी को भी मिले दिए गए उक्त पते पर या मोबाइल नंबर पर सम्पर्क करें। 9660315239

मैं पायल शर्मा पुत्री गजानन्द शर्मा मेरे प्रोपर्टी पेपर जिसका पता भूखण्ड संख्या 11-ए, कृष्णा नगर गांव बगरूकला तहसील सांगानेर जयपुर कहीं गिर चुके है जिस किसी को भी मिलेदिए गए उक्त पते पर या मोबाइल नंबर पर संपर्क करें-9660315239

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम वीना माहेश्वरी से वीना कचोलिया बदल लिया है। अब भविष्य में मुझे वीना कोलिया, पत्नी श्री राजेन्द्र माहेश्वरी निवासी प्लॉट नंबर बी-147 बी, मंगल मार्ग, बापू नगर, जयपुर के नाम से जाना जावें।

I Army No. JC 7704437L SUB नेकीराम यादव गांव नांगल तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.) मेरे आर्मी रिकॉर्ड में मेरी पत्नि का नाम भगोती यादव जन्म दिनांक 11.01.1986 है जो असत्य है एवं सही नाम भागोती यादव व जन्म दिनांक 09.07.1989 है जो सत्य है जो आगे मेरे आर्मी रिकॉर्ड में रहे।

मैं कान्ता कुमारी पत्नि आर्मी नं. 14439580-ए, हवलदार विक्रम सिंह 27, माउंटेन ब्रिगेड C/o 99 APO. मेरे पति के सैन्य दस्तावेज में मेरी जन्म तिथि 01.07.1984 है, जो कि गलत है। मेरी वास्तविक जन्म तिथि 27.11.1981 है।

मैंने अपना नाम लोकेश सिंह खींची से बदलकर लोकेश सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह रख लिया है उपरोक्त दोनों नाम मेरे ही है निवासी प्लॉट नं. 31, रिद्धि-सिद्धि नगर निवारू रोड झोटवाडा जयपुर राजस्थान

मैंने मेरा नाम हरगोविन्द गुप्ता से बदलकर हरगोविन्द कुमार गुप्ता रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावें। हरगोविन्द कुमार गुप्ता 751, देवी नगर, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला, जयपुर

I No. 14264300H Hav Mahendra Singh S/o Shri Pratap Singh, R/o 88, Yagdutt Nagar, Nath Ji Thadi, Niwaru Road, Jhotwara, Jaipur Rajasthan Pin-302012. In service record my wife's name Beeramati wrong recorded. Correct wife's name Beermati Devi. Vide Affidavit Date 28.03.2024 Jaipur.

I Mohd Sufiyan S/o Mohd Furkan 3919 Mithi Kothi Ka Rasta Gota Factory Surajpale Jaipur. I have Changed my Mother Name Shamima to Shameema.

समापक, हसनपुरा-बी, क्षेत्र गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर एवं निरीक्षक, कार्यालय उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर (शहर)
कमरा नं. 608, पांचवी मंजिल, मिनी सचिवालय, बनी पार्क, जयपुर
क्रमांक-स्पे-01 दिनांक- 28.03.2024

आमसभा स्थगन की सूचना

हसनपुरा-बी क्षेत्र गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर की दिनांक 31.03.2024 को प्रातः 11.00 बजे, ई-1, बैंक कॉलोनी, अम्बाबाड़ी, जयपुर में प्रस्तावित आमसभा अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है। समस्त सदस्यगण सूचित रहे।

(उमा चौधरी)
समापक, हसनपुरा-बी, क्षेत्र गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर

न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) मालपुरा

नोटिस

क्रमांक- 1321-22/भू.अ./2024
दिनांक-28.03.2024

प्रकरण सं. 321/2023 तहत धारा 135(2)

उनवान

गणेश पुत्र मोहनलाल जाति खाती निवासी कांटोली बनाम सरकार

हर खास आम को सूचित किया जाता है कि मृतका खातेदार धापू पत्नि स्व. रामकिशन जाति खाती निवासी कांटोली ने एक रजि. वसीयत दिनांक 19.03.2021 को वादी गणेश जांगिड पुत्र मोहनलाल जाति खाती निवासी कांटोली के हक में उप पंजीयक मालपुरा के कार्यालय में करवाई थी। वसीयतकर्ता फौत हो जाने से उक्त वसीयत के आधार पर वादी वसीयतग्रहिता ने अपने हक में नामा. खोले जाने हेतु निवेदन किया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजि. किया जाकर सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रकरण में यदि कोई भी व्यक्ति आक्षेप रखना हो तो वह 10 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकता है। बाद मियाद गुजर जाने पर कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। वसीयत के संबंध में कोई आक्षेप रखता हो तो मय साक्ष्य सबूत के नियम अवधि में उपस्थित होवे। नोटिस आज दिनांक 27.03.2024 को जारी किया गया।

मोहर अदालत

तहसीलदार (भू.अ.)
मालपुरा

आम सूचना सर्वसाधारण को मेरे अभिभाष्य फर्म वंदना प्रोपर्टीज एंड डवलपर्स 26, कृष्णा टावर, सेंट्रल स्पाइन, विद्याधर नगर, जयपुर (राज.) की ओर से सूचित किया जाता है कि फर्म के प्रोजेक्ट श्री श्याम वंदना धाम में प्रथम टावर श्री कृष्ण वंदना, द्वितीय टावर श्री गोकुल वंदना, तृतीय टावर श्री केशव वंदना, चतुर्थ टावर श्री हरी वंदना खाटूश्यामजी, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर (राज.) में व्यक्तियों/फर्म द्वारा करवाई गयी फ्लैट बुकिंग को निरस्त करवाते हुए अपनी जमा राशी का हिसाब करते हुए अपनी राशी प्राप्त कर ली गयी थी परन्तु कुछ व्यक्तियों द्वारा ओरिजिनल जमा राशी रसीदे, एग्रीमेंट व अन्य बुकिंग सम्बन्धी दस्तावेज यह कहते हुए जमा नहीं करवाए गये थे कि कहीं गुम हो गये हैं मिलने पर जमा करवा दिए जायेंगे। ऐसे सभी व्यक्तियों/फर्म के ओरिजनल दस्तावेज जो आज तक भी उनके द्वारा जमा नहीं करवाए गये है तुरन्त निरस्त एवं प्रभाव शून्य किये जाते है।

प्रमोद अग्रवाल, एडवोकेट, मो.नं. 9829068209

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
(क्रम-3) जयपुर महानगर जयपुर
डॉ. आर. के. जैन विरुद्ध शांति गृह निर्माण सहकारी समिति
वाद बाबत...
वाद सं....सन....

बनाम आर. एस. चौधरी पुत्र स्व. होशियार सिंह चौधरी जाति जाट उम्र 71 साल स्थान मकान नम्बर-635 बरकत नगर टोंक फाटक जयपुर राजस्थान ने आपके विरुद्ध विक्रय पत्र निरस्तीकरण व स्थाई निषेधाज्ञा के लिये वाद पंजीयत किया है। आपको इस न्यायालय में तारीख 15 माह 4 सन 2024 को दिन में 7.30 एएम बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है, पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसे दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह वाद ता. 22 माह 3 सन 24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय मुद्रा लगाकर दिया गया है।

मोहर अदालत

आज्ञा से-शेरिस्तेदार ग्रेड प्रथम
अपर जिला एवं सत्र न्यायालय क्रम 3.
जयपुर महानगर जयपुर

श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: श्रीटावर्स , प्लाट संख्या 14 ए , साउथ फेज, इंडस्ट्रियल स्टेट, गुंदी, चेन्नई - 600032 तमिलनाडु
शाखा कार्यालय :- रोडवेज डिपो के सामने, प्रीमियर टावर, प्रीमियर ग्लास हाउस के ऊपर, आगरा रोड, दौसा- 303303 राजस्थान

प्रतीकात्मक कब्जा नोटिस

जबकि, अधोहस्ताक्षरी वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के प्रावधानों के तहत और धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड (एसएफएल) का अधिकृत अधिकारी है। सुरक्षाहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (उक्त नियम) के नियम 3 के साथ पढ़े गए उक्त अधिनियम के तहत उधारकर्ताओं को मांग नोटिस जारी किए गए, जिनका विवरण नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है, ताकि उक्त मांग नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाई जा सके।

उधार कर्ताओं द्वारा ऋण राशि चुकाने में विफल रहने पर, उधार कर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को नोटिस दिया जाता है कि नीचे हस्ताक्षर कर्ता ने धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मार्च 2024 के इस 27 वें दिन नीचे वर्णित संपत्ति का प्रतीकात्मक कब्जा ले लिया है। जो की उक्त अधिनियम एवं उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पढ़ा गया।

उधार कर्ता का नाम और पता	मांग पत्र के अनुसार देय राशि	संपत्ति का विवरण
1) मैसर्स ओम विष्णु आयरन स्टोर का प्रतिनिधित्व द्वारा मालिक श्री लल्लू प्रसाद सैनी पुत्र रामफूल सैनी, नगर पालिका के पास , गंगापुर रोड, तहसील- लालसोट, दौसा- 303503, राजस्थान श्री लल्लू प्रसाद सैनी पुत्र रामफूल सैनी, थाला की ढाणी,मंदिर के पास, तहसील- लालसोट, दौसा- 303503, राजस्थान(उधारकर्ता) 2) श्री कैलाश चंद सैनी, पुत्र रामफूल सैनी, नगर पालिका के पास, तहसील- लालसोट, गंगापुर रोड, दौसा-303503, राजस्थान श्री कैलाश चंद सैनी, पुत्र रामफूल सैनी, प्रताप नगर, वार्ड नंबर 15, तहसील-लालसोट, गंगापुररोड, दौसा-303503, राजस्थान 3) श्री कमलेश सैनी, पुत्र रामफूल सैनी, नगर पालिका के पास , गंगापुर रोड, तहसील- लालसोट, दौसा- 303503, राजस्थान श्री कमलेश सैनी, पुत्र रामफूल सैनी, प्रताप नगर, वार्ड नंबर 15, गंगापुर रोड, तहसील- लालसोट, दौसा- 303503, राजस्थान. (सहउधारकर्ता)	ऋण खाता संख्या :- CDDASTF1803220007 नोटिस दिनांक:- 22-01-2024 के संदर्भ में रूपए Rs-70,78,423/- (सत्तर लाख अठत्तर हजार चार सौ तेईस रुपये मात्र) का भुगतान करने के लिए	वह सभी खसरा नंबर -1316, 3327.50 का क्षेत्रफल, कस्बा लालसोट, थाला की ढाणी, तहसील लालसोट, जिला- दौसा, राजस्थान में स्थित है और निम्नानुसार घिरा हुआ है। खसरा संख्या-1316 की सीमाएँ इस प्रकार हैं:- उत्तर की ओर :-कृषि भूमि दक्षिण की ओर:- कृषि भूमि पूर्व की ओर :- सड़क पश्चिम की ओर :- कृषिभूमि

यह नोटिस बड़े पैमाने पर आम जनता को सावधान करने के लिए भी है कि श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के पास ऊपर उल्लिखित अचल संपत्ति का वैध प्रतीकात्मक कब्ज़ा है और उधार कर्ता या कोई भी व्यक्ति श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड की पूर्व लिखित सहमति के बिना उल्लिखित उपरोक्त किसी भी संपत्ति को पट्टे पर देना/ विक्रय करना या अन्यथा निपटान अथवा अलग करना इस नोटिस की प्राप्ति के बाद बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण नहीं करेगा।

Sd/-
अधिकृत अधिकारी
श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड

स्थान: दौसा
दिनांक: 29-03-2024